

12.11.16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त धर्मसिंह सहित अधिवक्ता श्री पी०एन० भट्टले।
फरियादी एवं आहत धीरसिंह एवं उग्रदेवी प्रीसिटिंग नोटिस के पालन में

स्वयं उप०।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 21 दि० 12.11.16 में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि वे एक ही परिवार के हैं उनका आपस में विवाद हो गया है। अब उनके मध्य स्वेच्छा पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया।

फरियादी एवं आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान श्री आर०बी०दौदेरिया एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री पी०एन० भट्टले ने की।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।


अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे।

आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।



सदस्य

सदस्य